न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—254/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/254)

1. सबला पुत्र श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 श्रीमती किशनी पत्नि स्व0 श्री सबला
   1/2 वंशी पुत्र स्व0 श्री सबला
   1/3 गोपाल पुत्र स्व0 श्री सबला
   1/4 गीता पुत्री स्व0 श्री सबला
   1/5 सीता पुत्री स्व0 श्री सबला
   1/6 प्रेम पुत्री स्व0 श्री सबला
   1/7 मतिया पुत्री स्व0 श्री सबला
2. श्योजी पुत्र श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 श्रीमती चूकी पत्नि स्व0 श्री श्योजी
   2/2 राधा पुत्री स्व0 श्री श्योजी
   2/3 सीमा पुत्री स्व0 श्री श्योजी
   2/4 सोनी पुत्री स्व0 श्री श्योजी
   2/5 काली पुत्री स्व0 श्री श्योजी
3. बीरम पुत्र श्री भैरू
4. रामा पुत्र भैरू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   4/1 मानी देवी पत्नि स्व0 श्री रामा
   4/2 नन्दा पुत्र स्व0 श्री रामा
   4/3 मंगल पुत्र स्व0 श्री रामा
   4/4 शैतान पुत्र स्व0 श्री रामा
   4/5 रामचंद्र पुत्र स्व0 श्री रामा
   4/6 कोमल पुत्री स्व0 श्री रामा
   4/7 छगनी पुत्री स्व0 श्री रामा

   समस्त जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मंदिर श्री नृसिंह जी महाराज विराजमान वाकै ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेंटस

3. ऊंकार पुत्र श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   3/1 श्रीमती भंवरी देवी पत्नि स्व0 श्री ऊंकार
   3/2 रामलाल पुत्र स्व0 श्री ऊंकार
   3/3 श्रीमती काली पुत्री स्व0 श्री ऊंकार
   3/4 श्रीमती नौसर पुत्री स्व0 श्री ऊंकार

   समस्त जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस/वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 34/2004

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ज्ञानीसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 (ब्रीफ होल्डर महेन्द्र सिंह चौहान)
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
4. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/4

निर्णय

दिनांकः—31.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस ने प्रतिवादीगण/असल रेस्पोडेंटस के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर मे अवस्थित है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस दिए गए। प्रतिवांदीगण/रेस्पोडेंटस की आरे से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बावजूद सूचना वे उपस्थित भी नहीं हुए तथा राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिससे दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 4 तनकीयात कायम की गई तत्पश्चात वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस की ओर से लादू पुत्र मोडा, सबला पुत्र भैरू दोनों जाति गुर्जर तथा गंगाराम पुत्र श्री नानू जाति खटीक, रामा पुत्र भैरू गुर्जर, बीरमा पुत्र श्री भैरू गुर्जर के बयान प्रस्तुत किए गए तत्पश्चात वाद बहस उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा वाद पत्र दिनांक 07.04.2021 को अवैधानिक रूप से निरस्त फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2021 को निर्णय पारित किया गया उसके ठीक पश्चात जन अनुशासन पखवाडा के नाम से लोकडाउन लगा दिया गया तत्पश्चात दिनांक 06.07.2021 को कार्य पुनः प्रारम्भ हुआ जिससे दिनांक 20.7.2021 को नकल प्राप्त हुई जो प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नजरसानी याचिका प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन रही तत्पश्चात दिनांक 02.08.2022 को निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त की गई एवं उक्त नजरसानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

याचिका न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु साब्जेक्ट टू विद्रॉ नजरसानी के आधार पर उक्त अपील आज जानकारी से अंदर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मंदिर मूर्ति की आरे से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नही हुए एवं ना ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध एडवर्स इन्फेरेन्स ड्रा कर वाद पत्र डिक्री करने के अतिरिक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 " आया वादीगण विवादित आराजीयात के हक खातेदारी घोषणा के हकदार है " मुर्तिब की गई। उक्त तनकी के सिद्धीकरण हेतु वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस द्वारा खेवट खतौनी सनफसली 1349, 1359, 1363 जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018, 2019 लगायत 2022, 2023 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018, 2019, 2020 लगायत 2023, 2031 लगायत 2034, 2035 लगायत 2038, 2039 लगायत 2042 मिलान क्षेत्रफल, नामांतरकरण संख्या 305, वर्किंग जमाबंदी, नक्शा ट्रेस कुल 15 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए जिनका कोई विवेचन तनकी संख्या 1 के निर्णय में नहीं किया, जबकि उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट सिद्ध था कि जमाबंदी सनफसली 1349 अर्थात सन् 1941–42 से वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेटस के पूर्वज बहैसियत खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे थे जो सम्वत 2015 लगायत 2042 की खसरा गिरदावरियों से भी सिद्ध है एवं उक्त रिकार्ड में कहीं भी मंदिर का नाम दर्ज नहीं रहा है लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना कारण पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित कर मंदिर का नाम दर्ज कर वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस के पूर्वजो को शिकमी दर्ज कर दिया तत्पश्चात जरिये नामान्करण संख्या 305 शिकमी शब्द भी विलोपित कर दिया जिससे स्पष्ट सिद्ध था कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा मंदिर श्री नृसिंह जी का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया है जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई क्षेत्राधिकार भी नही था लेकिन उपरोक्त दस्तावेजा एवं वदीगण/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत बयानात का कोई अंकन नही कर मात्र यह अंकित करते हुए कि 1349 फसली में खातेदारी दर्ज होने का कथन अंकित किया है एवं बन्दोबस्त जमाबंदी से मंदिर नृसिंह जी के नाम दर्ज हाने सिद्ध होता है जो नाबालिग की श्रेणी में आते है एवं तनकी संख्या 1 का निर्णय अवैधानिक रूप से वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफौर्मा रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध पारित कर दिया उक्त तनकी में पारित निर्णय में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि बन्दोबस्त जमाबंदी में मंदिर श्री नृसिंह जी का नाम दर्ज है, अर्थात इससे पूर्व मंदिर का ना तो नाम दर्ज था ना ही मंदिर काबिज रहना प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है एवं मात्र बंदोबस्त विभाग द्वारा अकारण पूर्व प्रविष्टि को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर परिवर्तित करना सिद्ध हो चुका था एवं वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस का लगातार कब्जा काबिज काश्त होना भी प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से सिद्ध हो चुका था, फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानात तथा प्लीडिंग्स को अपने निर्णय में शामिल नही कर अवैधानिक रूप से अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय में पारित करने की गरज से आदेश 18 एवं 20 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कारित कर तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आना सिद्ध हो चुका था मात्र बंदोबस्त विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित कर वर्किंग जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि मंदिर के नाम दर्ज कर दी जिसको महत्व अंकित करते हुए कि काश्तकारों का कब्जा काश्त भी मंदिर का ही कब्जा काश्त माना जायेगा एवं तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांटस के विरूद्ध पारित कर दिया जबकि खातेदारी एवं लगातार कब्जा काश्त सिद्ध होने के कारण तथा बन्दोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टि परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार नही होने से वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पेडेन्टस के हक में स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित किया जाना न्यायोचित था जिससे उक्त तनकी का भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया जाना स्वयं सिद्ध होकर उनके द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 3 मुर्तिब की गई "आया वादीगण का वाद नियमानुसार नही होने से खारिज योग्य है" का निर्णय भी विरूद्ध वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस कर दिया जबकि निर्णय में ऐसा कोई कारण अंकित करते हुए कि तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध होने से उक्त तनकी भी विरूद्ध वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस तय की जाती है। इस प्रकार उक्त तनकी का निर्णय उनके द्वारा अपूर्ण रूप से पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 14, 18 एवं 20 जा0दी0 के आज्ञाप्क प्रावधानों के विपरित होने से काबिल निरस्त योग्य है। बन्दोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टि परिवर्तित करने का कोई क्षेत्राधिकार निहीत नहीं है। उक्त तथ्य को सिद्ध करने हेतु वादीगण द्वारा कुल 15 दस्तावेज प्रर्दर्शित करवाये गये, बयान प्रस्तुत किये गये जिनके विपरित कोई साक्ष्य विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुई जिससे असल प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र अदृश्य रूप से स्वयं स्वीकार किया जा चुका था फिर भी प्रदर्शित दस्तावेजात एवं बयानात के आधार पर विवाद्यको का निर्णय पारित नही कर फौरी तौर पर अपूर्ण आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 निरस्त फरमा कर वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत वादपत्र डिक्री फरमाने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अपीलांटस स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे एवं उक्त निर्णय एवं डिक्री की उनको पूर्ण-जानकारी थी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन सद्भाविक नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील कथन किया कि वादी/अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 43 लगायत 54 तथा उनसे निर्मित नये खसरा नम्बर 38 लगायत 40 बाबत उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त पुराने खसरा नम्बरों का अपीलांट द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है वह अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है तथा उक्त मिलान क्षेत्रफल साबिक किन खसरा नम्बरों से बना है यह पूर्णतया अस्पष्ट है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त चौसाला खसरा नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल दिया जाना संभव नही है की इबारत अंकित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दी। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा उक्त त्रुटि का नाजायज लाभ अर्जित कर उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिअनुसार समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया है जो कि न्यायोचित है। जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नही है तथा उक्त आदेश यथावत रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत तीन तनकीयात निर्मित कर उनके समक्ष उपलब्ध राजस्व वाद बाबत समस्त दस्तावेजों एवं तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत प्रत्येक तनकीयों पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर उक्त आदेश दिनांक 07.04. 2021 पारित किया है जो विधिअनुसार सही है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से काबिल निरस्त योग्य हैं। अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 ने दौराने जवाब अपनी बहस में आगे कथन किया कि राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत प्रदर्श 16 वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में मंदिर/रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज है तथा विधिनुसार प्रदर्श 14 नामांतरकरण संख्या 305 दिनांक 20.05.1999 के द्वारा उक्त आराजीयात बाबत अन्य का नाम हटाकर मंदिर का नाम दर्ज किया गया है इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात रेसपेडेंट संख्या 1 मंदिर के नाम दर्ज है। चूंकि उक्त आराजीयात बाबत मंदिर बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा है तथा चूंकि मंदिर मूर्ति नाबालिग शास्वत है तथा ऐसी आराजीयात बाबत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदबूध नहीं होते है तथा विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट को किसी भी प्रकार से खातेदारी काश्तकारी अधिकार उत्पन्न नहीं होने से उक्त अपील काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलांट का किसी प्रकार से कोई कब्जा इत्यादी नहीं रहा है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलांट के मन में बदनियती आ जाने के कारण तथा मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग की आराजीयात को हडप करने की गरज से उक्त वाद एवं अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत आदेश दिनांक 7.4.2021 पारित किया है जो न्यायोचित है। उक्त आराजयीयात वर्तमान जमाबंदी में मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज चली आ रही है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपीलांट को किसी प्रकार से खातेदारी हक एवं अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। वादग्रस्त आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वार सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तथा आदेश 20 एवं 18 सीपीसी अनुसार उक्त आदेश दिनांक 7.4.2021 पारित किया जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं है। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी काश्ताकरी अधिकारों की प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 3 तनकीयात कायम की तथा तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करंने का भार वादी पर था लेकिन वादी तनकी सख्या 1 व 2 को सिद्ध करेन में असफल रहे हैं इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात उक्त आदेश दिनांक 7.4.2021 पारित किया जो विधिनुसार सही एवं अपील अपीलांट काबिल निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/4 ने दौराने जवाब/बहस अपील कथन किया कि हमारे हक एवं अधिकार अपीलांटस के समान ही है अतः उनके द्वारा किए गए कथन व बहस को ही हमारी बहस माना जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने बहस निवेदन किया कि सरकार फोर्मल पक्षकार है।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी/अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः **प्रार्थी/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

11. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात निर्मित कर सरसरी तौर पर तनकीयों का बिना विधिवत रूप से विस्तृत विवेचन किये निर्णय पारित किया गया है । अतः हाजा न्यायालय द्वारा उक्त तीनों तनकीयों का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है। तनकी संख्या 1 " आया वादीगण विवादित आराजीयात के हक खातेदारी घोषणा के हकदार है" उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलांटस पर है जिसके समर्थन में उनके द्वारा जमाबंदी सनफसली 1349 प्रस्तुत की जिसके अनुसार मु0 भोली व हरजी बेवा पांचू एवं भैरू वल्द सोनाथ कौम गुर्जर अंकित है। उक्त रिकार्ड सन् 1941–42 का है जो प्रदर्श पी–1 है एवं खेवट सनफसली 1349 प्रदर्श पी–2 है जिसमें भी उक्त प्रविष्टि यथावत है, इसके पश्चात खतौनी जमाबंदी सनफसली 1359 प्रदर्श पी–3 एव खेवट सनफसली 1363 प्रस्तुत की गई है जिसमें भी उक्त प्रविष्टि यथावत दर्ज है, उक्त राजस्व रिकार्ड अजमेंर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.06.1958 को प्रभाव में आने के पूर्व का है जो वादीगण/अपीलांटस के पूर्वजों के नाम है। इसके बाद जमाबंदी संवत 2015 लगायत 18 प्रदर्श पी–4 एवं जमाबंदी संवत 2019 लगायत 22 प्रदर्श पी–5 तथा जमाबंदी संवत 2023 लगायत 2026 प्रदर्श पी–6 प्रस्तुत की गई है जिनमें भी वादीगण के पूर्वज यथावत खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजात से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर में दिनांक 15.06.1958 को प्रभाव में आने के पूर्व एवं पश्चात का राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात वादीगण/अपीलांट के पूर्वजों के नाम खातेदारी हक से दर्ज है अर्थात मंदिर मूर्ति का नाम किसी भी हैसियत से कही पर भी दर्ज नही है जिससे उक्त आराजीयात मंदिर मूर्ति के स्वामित्व की होना कतई सिद्ध नही है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जिसके अनुसार यदि कोई मंदिर की भूमि पुजारियों के नाम दर्ज कर दी गई हो तो उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु जारी की गई थी लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि न तो मंदिर के नाम दर्ज होना सिद्ध है ना ही मंदिर के किसी पुजारी के नाम दर्ज होना पायी जाती है अर्थात वादीगण के पूर्वज काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व एवं पश्चात वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 प्रभाव में आने के पूर्व तक बहैसियत खातेदार दर्ज होना प्रस्तुत रिकार्ड से सिद्ध है। वादीगण/ अपीलांटस की ओर से खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2042 तक प्रदर्श पी–7 से प्रदर्श पी–12 प्रस्तुत की गई है जिनसे लगातार वादीगण/ अपीलांटस पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होना भी सिद्ध है, इस प्रकार राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अधिसूचना की गलत व्याख्या करते हुए नामान्तकरण संख्या 305 दिनांक 20.12.1999 को अवैधानिक रूप से मंदिर श्री नृसिंह जी महाराज के नाम तस्दीक किया गया है जिसका बंदोबस्त विभाग

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर पूर्व प्रविष्टियों को अकारण परिवर्तित करते हुए वर्किंग जमाबंदी में मंदिर के नाम इन्द्राज दर्ज किया गया है जो कि क्षेत्राधिकार विहिन होकर प्रथम दृष्टया शून्य प्रविष्टि प्रतीत होती है। वादीगण/अपीलांटस की ओर से मौखिक साक्ष्य में गंगाराम पुत्र नानू, रामा पुत्र भैरू, बीरम पुत्र भैरू, सबला पुत्र भैरू के बयान दर्ज करवाये गये है जिनसे भी वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजो के समय से वादीगण/ अपीलांटस लगातार काबिज काश्त होना सिद्ध है। वादीगण/ अपीलांटस द्वारा प्रदर्श पी–13 मिलना क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है जिससे चौसाला खसरा नम्बरान का मिलान वर्किंग खसरा नम्बरान से होता है इस बाबत रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में खसरा नम्बरान का मिलान नही होना गलत अंकित किया गया है जो कि मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध है। मात्र वर्किंग जमाबंदी में प्रथम बार सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचान, मुंतकिल, दान किये बिना बंदोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से मंदिर के नाम भूमि दर्ज किया जाना प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से सिद्ध पाया गया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात वादीगण/अपीलांटस के पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात होना सिद्ध होती है। उक्त तनकी के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटस द्वारा 2015 आर0एल0डब्लू0 पार्ट चतुर्थ पृष्ठ 2721 (हाईकोर्ट), 2000 आर0आर0डी पृष्ठ 109 (हाई कोर्ट), 2001 आर0आर0टी0 पार्ट प्रथम पृष्ठ 244 (हाईकोर्ट), 2008 आर0आर0टी0 पार्ट प्रथम पृष्ठ 151 (हाईकोर्ट) के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये जिनका अवलोकन करने से प्रस्तुत प्रकरण में अक्षरशः चस्पा होते है। उक्त विवेचन के कम में तनकी संख्या 01 वादीगण/अपीलांटस द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक बयानों से सिद्ध करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत एवं अवैधानिक रूप से वादीगण/अपीलांट के विरूद्ध तय की है जबकि वादीगण/अपीलांटस तथा प्रफोर्मा रेस्पोडेंन्टस इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर घोषणा खातेदारी के अधिकारी पाया जाना सिद्ध है। इस प्रकार हमारे द्वारा किये गये विवेचन के कम में उक्त तनकी संख्या 1 दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध होने के कारण वादीगण/अपीलांट के पक्ष में तय की जाती है। तनकी संख्या 02 " आया **वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा के हकदार है"** उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलांटस पर था, चूकि तनकी संख्या 01 में किये गये विस्तृत विवेचन जो कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से सिद्ध होने के कारण वादीगण/अपीलांटस के हक में तय की जा चुकी है एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजीयात अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होकर प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों एव राजस्व रिकार्ड तथा मौखिक साक्ष्यों के अुनसार लगातार काबिज काश्त होना भी सिद्ध हो चुका है ऐसी स्थिति में यदि अपीलांटस/प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस को बेदखल कर दिया गया अथवा भूमि रहन, बेचान, मुंतकिल कर दी गई तो इन्हे अपूर्तनीय क्षति कारित होना भी सिद्ध है। प्रस्तुत रिकार्ड प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी बहक अपीलांटस/ प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस पाया जाता है जिससे वादीगण/अपीलांटस तथा प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त तनकी संख्या 02 बहक अपीलांट/ प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस विरूद्ध असल रेस्पोडेन्टस तय की जाती है। तनकी संख्या 03 " आया **वादीगण का वाद नियमानुसार नहीं होने से खारिज योग्य है।"** उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलाटस तथा चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 को अपीलांटस/वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों से पूर्णतया सिद्ध किया जा चुका है अतः तनकी संख्या 3 भी बहक वादीगण/अपीलांटस

विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है तथा उपरोक्त विवेचन के क्रम में वादीगण/अपीलांटस की अपील नियमानुसार एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

12. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 निरस्त किया जाता है, तथा वादग्रस्त आराजीयात वाकै ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित खसरा नम्बर पुराने खसरा नम्बर 43 रकबा 2–19–10, वर्किंग खसरा नम्बर 38 रकबा 8–14–00, पुराने खसरा नम्बर 44 रकबा 1–1–00 पुराने खसरा नम्बर 45 रकबा 00–02–00, पुराने खसरा नम्बर 46 रकबा 00–06–00 पुराने खसरा नम्बर 47 रकबा 00–03–00, वर्किंग खसरा नम्बर 39 रकबा 3–02–00, पुराने खसरा नम्बर 48 रकबा 4–03–00, पुराने खसरा नम्बर 49 रकबा 00–14–00, पुराने खसरा नम्बर 50 रकबा 00–04–00, पुराने खसरा नम्बर 51 रकबा 00–16–00, खसरा नम्बर 52 रकबा 00–08–00, पुराने खसरा नम्बर 53 रकबा 3–02–00, पुराने खसरा नम्बर 54 रकबा 03–15–00, वर्किंग खसरा नम्बर 40 रकबा 03–15–00 कुल किता पुराने 12 रकबा 17–13–10 हाल 03 रकबा 15–11–00 का अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाता है तथा असल रेस्पोडेंट संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर इसी अनुसार वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस को अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में दखलंदाजी, एवं मदाखलत उत्पन्न नहीं करने एवं किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नहीं करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, तदअनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर